



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2230]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939

No. 2230]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2538(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 655 (अ) तारीख 4 मार्च, 2016, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 मार्च, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पण्धारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, सतपुड़ा बाघ आरक्षिती, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 528.73 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश राज्य में पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का 417.78 वर्ग किलोमीटर और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य का 485.71 वर्ग किलोमीटर के साथ 1432.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है;

और, सतपुड़ा बाघ आरक्षिती 2133.30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें की कोर संकटापन्न बाघ पर्यावास 1339.26 वर्ग किलोमीटर में है और मध्यवर्ती क्षेत्र 794.04 वर्ग किलोमीटर में है;

और, सतपुड़ा बाघ आरक्षिती विश्व में सबसे बड़ा बाघ पर्यावास का भाग है जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बेतुल, हरदा, खांडवा और मेलघाट 10,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है;

और, बाघ के अस्तित्व के लिए यह परिदृश्य बहुत महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बाघ, गौर और संभार के लिए प्रसिद्ध है। इस वन में कम से कम 14 संकटापन्न प्रजातियां स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वास करते हैं। सूरज-भगत, भारतीय विशालकाय गिलहरी और लीफ नॉस चमगादड़ के वास स्थान परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदी माना जाना चाहिए;

और, संरक्षित क्षेत्र के पक्षी जीवजन्तु में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक स्वर्ग है। यहां 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी जाती हैं जिनमें मालाबार पाईड धनेश, मालाबार विशलिंग थर्स शामिल हैं और स्वर्ग फ्लाईकेचर मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। क्षेत्र में कई प्रवासी पक्षियां भी रहती हैं जैसे ब्राह्मी बत्तख, बार हेडिड गीज़, पीटिल आदि;

(i) और, सतपुडा बाघ आरक्षिती केंद्रीय भारतीय पहाड़ी क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख उदाहरण है। यह उच्च प्राकृतिक और विविध भूमि संसाधन मूल्यों का एक अनूठा क्षेत्र है और प्रचुर जैव विविधता के साथ संपन्न है। इसमें बहुत अधिक दुर्लभ और स्थानिक पौधे हैं, विशेष रूप से ब्रायोफाइट्स और पेटरीडोफाइट्स जैसे पसालोटम, साइथेआ, ओसमुंडा, लाइकोपोडियम, लाइगोडियम आदि। पंचमढ़ी पठार पर साल बन गोंडवाना के बलुआ पत्थर पर विद्यमान होते हैं जहां निचले मैदानों पर सागौन के बन बेसाल्टिक जाल पर होते हैं;

और, फाइटोजियोग्राफिकली के अनुसार बाघ आरक्षिती कुछ प्रजातियों के लिए अद्वितीय है; जो मध्य प्रदेश में कहीं और सामान्य नहीं हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मैलेस्टोमा मालाबेरिकम, मुर्रा पॅनिकुलता, होल्मस्कीलिड्या सेंगुइन, ब्लूमेर लान्सोलरिया, सोफोरी इंटरप्रटा आदि हैं। यहां हिमालय की 26 प्रजातियां और नीलगिरी पहाड़ियों की 42 प्रजातियां पाई जाती हैं;

और, क्षेत्र पुरातात्त्विक और मानव विकास बिंदु से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 50 से अधिक चट्टान शेल्टर हैं जो पेंटिंग के साथ 1500 से 10000 साल पुराने हैं;

और, सतपुडा बाघ आरक्षिती में वृक्ष जैसे बाबुल (अकेसीआ अराबीका), खैर (अकेशिया कट्टैचु), रेयन्जना (अकेशिया लेयुकोफलोआ), हलदु (अदीना कोरदीफलोआ), बेल (एगल मरमेलोस), महारूख (इलन्टुस एक्सेलस), करुंग (अलबीजिया चीन्सी), काला सीरीस (अलबिजिअ लेब्बेक), चीचवा (अलबिजिअ ओदोरटीस्सीमा), सफद सीरीस (अलबीजिया परोकेरा), धाओरा (अनोगेइस्सुस लेटीफोलीआ), नीम (अजदीराकाटा इंडिका), अमाता (ब्रयहीना मालाबरीका), केओलार (ब्रयहीनी पुरपुरेस), असता (ब्रयहीनीअ रेकेमोसा), सेहरा (ब्रयहीनी रेटुस), कच्चनार (ब्रयहीनीअ वेरीइगाटा), सालाइ (बोसवेल्लीअ सेराटा), कासाइ (बरीदेलीअ रेटुसा), अचार (बुचनानीअ लनजल) हैं;

और, सतपुडा बाघ आरक्षिती में संकटापन्न पौधे जैसे बाख (एकोरस कैलामास), दारू हल्दी (बेरबेरीस अरिस्ताटा), लिली, अग्नीशिखा (ग्लोरिसा सुपरब), जिंजर लिली (हेडेकियम कोरोनारियम), संधर्लिका (स्पाइकड जिंजर लिली) (हेडीक्यूम स्पिटकट), सरपगंधा (राउफोलिफ्या सर्पेटाइन), चिरैता (सर्तिया अंगुस्टिफोलिया), वान हल्दी (कम्युमा सीसिया), जाडवार, निर्वसी (डेल्फीनियम डेनडैटमैन), शिंगली-मिंगली (नेपाल यम) (डायोस्कोरा डेलटोइडे), स्केलेटन फोर्क फर्न (पसीलोटम नडम), कखाई (अबुटीलॉन इंडिकाम), सफेडेकुमुन (नम्फैया टेट्रगोना), मैदा चाल (डिलियाना पैंताग्ना), भूत वृक्षा, अरालू (ओरोक्सीयलम इंडिकाम) हैं;

और, सतपुडा बाघ आरक्षिती में संकटापन्न प्रजातियां जैसे भारतीय गिद्ध (जिप्सी इंडिकस), काला गद्ध (सीनेरस वल्वर) (एग्नीपियस मोनाचुस), यूरेशियन ओटर (लुट्रा लुट्रा), स्मूथ कोटेड ओटर (लुत्रोगेल पर्स्पिलिटाटा), बाघ (पैथेरा टाइगरिस), तेंदुआ (पैथेरा पार्डस), ढोल (कुओन अल्पाइंस), रीछ (मेलुरसुस अरसीनुस), दलदल हिरण (केरयस दुवायकेल्ड़), भारतीय वृहत गिलहरी (रुक्फा इंडिका), गौर (बाइसन) (बोस गयरूस), भारतीय साल (मानीस करेससीक्यदादा), हनी बेजर (रटल) (मेलेबोरा कैपेसिस), गंधबिलाव, बीजु (विवररा जिबेरा), भारतीय छिपकली (वेरनुस बेंगालेंसीस) हैं;

और, सतपुडा बाघ आरक्षिती में पक्षियों जैसे पाइड या व्हाइट वाग्टेल (मोटाकिला अल्बा), भारतीय रींग कबूतर (स्ट्रेप्टोपेलिया डेकाक्टो), पाइड धनेश (एन्थ्रेकोसेरेस-कोरोनाटस), बड़े पाईड वाग्टेल (मोटाकिला मोदरस्पेटेंसिस), कोल्डर बुशचैट (सैक्सिकोला तारकानाटा), ब्लू विंगेड टील (एनास क्यूरक्केदुला), हाउस स्विफ्ट (एप्स एफिनिस), स्टोन कर्लेव (ब्रह्मिनस ओडेकिनिमस), वीवर पक्षी (प्लासेस-फिलिपिनस), अल्पाइन स्विफ्ट (अप्स मेल्बा), लार्ज एग्रीट (एग्रेटा अल्बा), ब्लू चिकड मधुमक्खी मधुर (मर्स सुपरसिलीओसस), नीले पूँछ मधुमक्खी मधुर (मर्स फिलिपिनस), रेडवेटेड बुलबुल (पायोनोनोटस कैफर), लघु मिनेवेट (पेरिक्रोकोटस सिन्नामोउस), सामान्य या ग्रे बटेर (कोट्यूएनिक्स कोटेनिक्स), आम क्रेन (गुस गुस), ब्लैक हेडिड मैना (स्टर्नस पोगोदरम), चेस्टनट बॉलिड नथैच (सीट्रा कास्टाना), वेलवेच फ्रेटेड नथैच (सीट्रा फ्रंटलालिस) हैं;

और, सतपुडा बाघ आरक्षिती के महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के चारों ओर, जिसके अंतर्गत सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किया गया गया हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सतपुडा बाघ आरक्षिती के कोर महत्वपूर्ण सतपुडा बाघ पर्यावरण जिसके अंतर्गत सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, मध्य प्रदेश की सीमा से अधिसूचित शहरी और आबादी इलाकों की तरफ 100 मीटर के विस्तार तक और बाकी तरफ 2 किलोमीटर के

विस्तार तक को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार सतपुड़ा बाघ आरक्षिती राज्य मध्य प्रदेश के कोर महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास, जिसके अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, की सीमा की तरफ से अधिसूचित शहरी और आवादी क्षेत्र में 100 मीटर तक है और सतपुड़ा बाघ आरक्षिती के कोर महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास की अन्य तरफ से 2 किलोमीटर तक है;

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 1079.43 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत सतपुड़ा बाघ आरक्षिती का 794.04 वर्ग किलोमीटर का मध्यवर्ती क्षेत्र है और 285.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के दूसरे भागों (दो किलोमीटर परिधि के भीतर) के बन क्षेत्र शामिल हैं।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का माननित्र प्रमुख विंदुओं के भू-निर्देशांक के साथ उपाबंध-I के रूप में उपावद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन में 81 ग्राम शामिल हैं। पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-II के रूप में उपावद्ध है।

(5) क्षेत्र की विधिक स्थिति उपाबंध-III के रूप में उपावद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण;
- (ii) बन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी ;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिक और शहरी विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपराऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल

निकायों का अभ्यक्तं करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ समाप्त होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा-लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसमें गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिए गए हैं:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों या नदियों या जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभ्यराण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभ्यराण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बन्धित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए साधारण मानकों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—**

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन (ईएसएम) की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन: - परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) यानीय प्रदूषण:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक ईकाइयां: - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।		(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खाने और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;	(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।

2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि, आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बहुत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्तावण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्साव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप

12.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

		<p>(iii) फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग;</p> <p>(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और</p> <p>(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :</p> <p>(ख) परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे।</p> <p>(ग) एक किलोमीटर से आगे वह आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।</p>
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	बकरी और भेड़ की वाणिज्यिक पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगी।
16.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।</p>
17.	बकरी पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल विद्युताना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल विद्युताने को बढ़ावा दिया जाएगा।
21.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
23.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
26.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जलकृषि	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

	और मछली पालन।	
27.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्वाव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्वाव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्वावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
28.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सक्ति से मानीटरी की जाएगी।
30.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
32.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
33.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

ग. संवर्धित क्रियाकलाप

34.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाईट आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1. प्रभागीय आयुक्त, होशंगाबाद अध्यक्ष ;
2. प्रभागीय आयुक्त, जबलपुर सदस्य ;
3. जिला कलेक्टर, होशंगाबाद सदस्य ;
4. जिला कलेक्टर, बेतुल सदस्य ;
5. जिला कलेक्टर, छिंदवाड़ा सदस्य ;
6. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग, शहडोल सदस्य ;
7. अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, होशंगाबाद सदस्य ;

8.	अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, बेतुल	सदस्य ;
9.	अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, छिंदवाड़ा	सदस्य ;
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद	सदस्य ;
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, बेतुल	सदस्य ;
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा	सदस्य ;
13.	नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य ;
14.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य ;
15.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य ;
16.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित संस्था से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ;	सदस्य ;
17.	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव	सदस्य ;
18.	क्षेत्र निदेशक, सतपुड़ा बाघ आरक्षिती	सदस्य सचिव।

6. निर्देश – निबंधन:-

- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के परिवर्तन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्डारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उपांच्छ IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।


7. इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/177/2015 ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



पारिस्थितिक संवेदी जोन और कोर जोन के निर्देशांक निम्नलिखित हैं

दिशा	अक्षांश (कोर)	देशांतर (कोर)
उत्तर	22°42'01.12"	78°27'35.84"
पूर्व	22°25'36.98"	78°33'57.22"
दक्षिण	22°19'51.50"	78°01'59.74"
पश्चिम	22°31'06.91"	77°53'45.03"

दिशा	अक्षांश (पारिस्थितिक संवेदी जोन)	देशांतर (पारिस्थितिक संवेदी जोन)
उत्तर	22°43'13.89"	78°27'37.92"
पूर्व	22°25'20.98"	78°35'43.93"
दक्षिण	22°18'12.13"	78°05'03.81"
पश्चिम	22°31'11.29"	77°52'22.77"

उपांबंध-II

सतपुड़ा पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के साथ भौगोलिक निर्देशांक

क्र.सं	प्रभाग का नाम	ग्रामों के नाम	जिला	देशांतर	अक्षांश
1	मध्यवर्ती क्षेत्र	महाराजगंज	होशांगाबाद	78° 27' 51.43" पू	22° 42' 39.72" उ
2	मध्यवर्ती क्षेत्र	नयागांव	होशांगाबाद	78° 26' 19.46" पू	22° 42' 56.86" उ
3	मध्यवर्ती क्षेत्र	घोगरी माथा	होशांगाबाद	78° 26' 32.99" पू	22° 42' 15.31" उ
4	मध्यवर्ती क्षेत्र	अमादेह	होशांगाबाद	78° 26' 10.88" पू	22° 40' 38.36" उ
5	मध्यवर्ती क्षेत्र	रैतवाडी	होशांगाबाद	78° 25' 18.74" पू	22° 40' 55.95" उ
6	मध्यवर्ती क्षेत्र	मदहो	होशांगाबाद	78° 24' 16.70" पू	22° 40' 36.68" उ
7	मध्यवर्ती क्षेत्र	बोरी	होशांगाबाद	78° 24' 7.65" पू	22° 41' 18.70" उ
8	मध्यवर्ती क्षेत्र	देवी	होशांगाबाद	78° 24' 15.43" पू	22° 39' 48.19" उ
9	मध्यवर्ती क्षेत्र	दोकरीखेडा	होशांगाबाद	78° 22' 34.78" पू	22° 39' 28.29" उ
10	मध्यवर्ती क्षेत्र	जीरीया	होशांगाबाद	78° 23' 36.87" पू	22° 38' 43.06" उ
11	मध्यवर्ती क्षेत्र	चौका	होशांगाबाद	78° 22' 18.02" पू	22° 38' 40.05" उ
12	मध्यवर्ती क्षेत्र	अनहौनी	होशांगाबाद	78° 21' 6.53" पू	22° 38' 5.77" उ
13	मध्यवर्ती क्षेत्र	मुहारीखुर्द	होशांगाबाद	78° 20' 18.91" पू	22° 38' 42.45" उ
14	मध्यवर्ती क्षेत्र	मुहारीकला	होशांगाबाद	78° 18' 8.14" पू	22° 39' 48.36" उ
15	मध्यवर्ती क्षेत्र	संधी	होशांगाबाद	78° 17' 5.42" पू	22° 40' 11.76" उ
16	मध्यवर्ती क्षेत्र	सेहरा	होशांगाबाद	78° 10' 10.65" पू	22° 34' 59.16" उ
17	मध्यवर्ती क्षेत्र	कामती	होशांगाबाद	78° 09' 31.75" पू	22° 36' 26.80" उ
18	मध्यवर्ती क्षेत्र	टेकापर	होशांगाबाद	78° 09' 01.32" पू	22° 35' 0.88" उ

19	मध्यवर्ती क्षेत्र	सारंगपुर	होशांगाबाद	78° 8' 43.99" पू	22° 34' 39.91" उ
20	मध्यवर्ती क्षेत्र	घोगरी	होशांगाबाद	78° 7' 13.66" पू	22° 35' 8.41" उ
21	मध्यवर्ती क्षेत्र	मानगरीया	होशांगाबाद	78° 6'10 .05" पू	22° 35' 40.34" उ
22	मध्यवर्ती क्षेत्र	उरदौन	होशांगाबाद	78° 5' 46.46" पू	22° 34' 46.40" उ
23	मध्यवर्ती क्षेत्र	खरपवाद	होशांगाबाद	78° 4' 21.44" पू	22° 34' 31.02" उ
24	मध्यवर्ती क्षेत्र	पाथाइ	होशांगाबाद	78° 1' 59.12" पू	22° 36' 10.25" उ
25	मध्यवर्ती क्षेत्र	टावानगर	होशांगाबाद	77° 58' 34.99" पू	22° 34' 00.89" उ
26	मध्यवर्ती क्षेत्र	रानीपुर	होशांगाबाद	77° 57' 17.42" पू	22° 34'03.78" उ
27	मध्यवर्ती क्षेत्र	चीचा	होशांगाबाद	77°54' 50.28""पू	22°32' 40.41"उ
28	मध्यवर्ती क्षेत्र	दौदी	होशांगाबाद	77° 53' 28.44" पू	22° 31' 19.24" उ
29	मध्यवर्ती क्षेत्र	चातुआ	होशांगाबाद	77° 54' 21.35" पू	22° 28' 09.74" उ
30	मध्यवर्ती क्षेत्र	झुनकर	होशांगाबाद	77°:54`24.20""पू	22° 25' 46.51" उ
31	मध्यवर्ती क्षेत्र	मल्लुपुरा	होशांगाबाद	77° 56' 04.94" पू	22° 25' 29.32" उ
32	मध्यवर्ती क्षेत्र	सुपलाइ	होशांगाबाद	77° 58' 54.23" पू	22° 25' 04.84" उ
33	मध्यवर्ती क्षेत्र	खामदा	होशांगाबाद	77° 55' 58.56" पू	22° 24' 30.49" उ
34	मध्यवर्ती क्षेत्र	झलाई	होशांगाबाद	77° 56' 54.36" पू	22° 23' 26.61" उ
35	मध्यवर्ती क्षेत्र	कोटमी	होशांगाबाद	77° 54' 16.44" पू	22° 24' 4.56" उ
36	मध्यवर्ती क्षेत्र	मरुआपुरा	होशांगाबाद	77°53`36.53""पू	22°22`46.25""उ
37	मध्यवर्ती क्षेत्र	चिचाधाना	होशांगाबाद	77° 53' 59.08" पू	22° 22' 17.42" उ
38	मध्यवर्ती क्षेत्र	लेदेमा	होशांगाबाद	77° 53 39.13" पू	22° 22' 14.64" उ
39	मध्यवर्ती क्षेत्र	बरधा	होशांगाबाद	77° 54' 53.41" पू	22° 20' 7.92" उ
40	मध्यवर्ती क्षेत्र	धासाई	बेतुल	77° 56' 53.89" पू	22° 19' 30.08" उ
41	मध्यवर्ती क्षेत्र	केलीपुन्जी	बेतुल	77° 59' 36.03" पू	22° 18' 25.80" उ
42	मध्यवर्ती क्षेत्र	भातोदी	बेतुल	78° 11' 32.57" पू	22° 23' 10.52" उ
43	मध्यवर्ती क्षेत्र	बरथ	छिंदवाड़ा	78° 17' 25.64" पू	22° 24' 12.47" उ
44	मध्यवर्ती क्षेत्र	दुनदालम	छिंदवाड़ा	78° 16' 50.81" पू	22° 23' 04.47" उ
45	मध्यवर्ती क्षेत्र	छतीआम	छिंदवाड़ा	78° 18'48.43" पू	22° 23' 15.73" उ
46	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुरई	छिंदवाड़ा	78° 20' 47.18" पू	22° 24' 46.86" उ
47	मध्यवर्ती क्षेत्र	अलीमोड	छिंदवाड़ा	78° 22' 26.99" पू	22° 23' 40.98" उ
48	मध्यवर्ती क्षेत्र	बीजोरी	छिंदवाड़ा	78° 26' 54.96" पू	22° 22' 25.03" उ
49	मध्यवर्ती क्षेत्र	संगखेदा	छिंदवाड़ा	78° 27' 26.40" पू	22° 21' 50.14" उ
50	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुनदाइधाना	छिंदवाड़ा	78° 28' 24.17" पू	22° 21' 43.14" उ
51	मध्यवर्ती क्षेत्र	नीशान	छिंदवाड़ा	78° 31' 53.93" पू	22° 24' 14.43" उ
52	मध्यवर्ती क्षेत्र	अमारदोले	छिंदवाड़ा	78° 32' 54.88" पू	22° 23' 49.93" उ
53	मध्यवर्ती क्षेत्र	बेलखेदी	छिंदवाड़ा	78° 33' 44.75" पू	22° 24' 40.64" उ

54	मध्यवर्ती क्षेत्र	लुखाधाना	छिंदवाड़ा	78° 34' 34.19" पू	22° 24' 38.90" उ
55	मध्यवर्ती क्षेत्र	अनजानधाना	छिंदवाड़ा	78° 34' 40.12" पू	22° 25' 19.80" उ
56	मध्यवर्ती क्षेत्र	बनधान	छिंदवाड़ा	78° 32' 47.41" पू	22° 30' 37.96" उ
57	मध्यवर्ती क्षेत्र	दुनदी	छिंदवाड़ा	78° 32' 29.77" पू	22° 30' 29.95" उ
58	मध्यवर्ती क्षेत्र	आदीटोरीया	छिंदवाड़ा	78° 31' 6.69" पू	22° 34' 37.62" उ
59	मध्यवर्ती क्षेत्र	जीरपा	छिंदवाड़ा	78° 30' 52.73" पू	22° 35' 47.72" उ
60	मध्यवर्ती क्षेत्र	खानचारी	छिंदवाड़ा	78° 30' 10.74" पू	22° 35' 41.01" उ
61	मध्यवर्ती क्षेत्र	नावाटोला	छिंदवाड़ा	78° 30' 22.99" पू	22° 35' 51.91" उ
62	मध्यवर्ती क्षेत्र	करेर	छिंदवाड़ा	78° 30' 28.26" पू	22° 36' 24.6" उ
63	मध्यवर्ती क्षेत्र	ननदिया	होशांगाबाद	78° 26' 35.60" पू	22° 23' 26.88" उ
64	मध्यवर्ती क्षेत्र	गुटखेडा	होशांगाबाद	78° 27' 49.56" पू	22° 23' 36.96" उ
65	मध्यवर्ती क्षेत्र	सुपदोनगर	होशांगाबाद	78° 29' 01.50" पू	22° 23' 40.94" उ
66	मध्यवर्ती क्षेत्र	साकरी	होशांगाबाद	78° 30' 04.45" पू	22° 24' 25.54" उ
67	मध्यवर्ती क्षेत्र	चुरनी	होशांगाबाद	78° 32' 32.46" पू	22° 25' 27.01" उ
68	मध्यवर्ती क्षेत्र	नेकसा	होशांगाबाद	78° 30' 47.57" पू	22° 34' 21.95" उ
69	मध्यवर्ती क्षेत्र	मतकुली	होशांगाबाद	78° 27' 17.49" पू	22° 35' 34.22" उ
70	मध्यवर्ती क्षेत्र	चचीराई	होशांगाबाद	78° 28' 41.30" पू	22° 35' 34.29" उ
71	मध्यवर्ती क्षेत्र	तेकापर	होशांगाबाद	78° 28' 58.93" पू	22° 36' 22.28" उ
72	मध्यवर्ती क्षेत्र	चील्लोड	होशांगाबाद	78° 27' 32.74" पू	22° 36' 27.86" उ
73	मध्यवर्ती क्षेत्र	खारी	होशांगाबाद	78° 26' 59.33" पू	22° 36' 43.29" उ
74	मध्यवर्ती क्षेत्र	मोहागन	होशांगाबाद	78° 26' 56.03" पू	22° 36' 27.13" उ
75	मध्यवर्ती क्षेत्र	मल्ली	होशांगाबाद	78° 26' 10.41" पू	22° 35' 51.52" उ
76	मध्यवर्ती क्षेत्र	पीसुआ	होशांगाबाद	78° 24' 12.68" पू	22° 35' 46.56" उ
77	मध्यवर्ती क्षेत्र	बीन्दाखेडा	होशांगाबाद	78° 25' 09.89" पू	22° 35' 18.03" उ
78	मध्यवर्ती क्षेत्र	मेहानदीखेडा	होशांगाबाद	78° 26' 20.12" पू	22° 34' 57.21" उ
79	मध्यवर्ती क्षेत्र	पचमेरी	होशांगाबाद	78° 25' 15.10" पू	22° 27' 19.62" उ
80	मध्यवर्ती क्षेत्र	फिफेरी	होशांगाबाद	78° 32' 11.18" पू	22° 30' 37.18" उ
81	मध्यवर्ती क्षेत्र	मानाकाचार	होशांगाबाद	78° 31' 46.19" पू	22° 33' 10.52" उ

उपांध-III

सतपुड़ा पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले विधि स्थान एवं क्षेत्र (राजस्व क्षेत्र) का विस्तार

प्रभाग	सीमा	बीट	ग्रामों के नाम	विधि स्थान	क्षेत्र (हेक्टेयर)
मध्यवर्ती क्षेत्र	देनवा मध्यवर्ती	जीरपा	जीरपा, अदीटोरिअ	राजस्व	932.624
मध्यवर्ती क्षेत्र			करेर	राजस्व	545.739
मध्यवर्ती क्षेत्र			खान्चारी	राजस्व	302.28

मध्यवर्ती क्षेत्र		सीतादोनगरी	बनधेन	राजस्व	49.75
मध्यवर्ती क्षेत्र		देनवा	दुन्दी	राजस्व	45.502
मध्यवर्ती क्षेत्र		कुकपानी	बरयथ	राजस्व	181.87
मध्यवर्ती क्षेत्र		चाती- आम	चाती-आम	राजस्व	184.428
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व -अलीमानडा	अलीमोंडा, कुराइ, दुनदालम	राजस्व	3519.542
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चमी- अलीमानडा	बहागोली	राजस्व	264.89
	कुल			राजस्व	6026.625
मध्यवर्ती क्षेत्र	तावा मध्यवर्ती	धासी	धसाइ	राजस्व	243.802
	कुल			राजस्व	243.802
मध्यवर्ती क्षेत्र	बेगरा मध्यवर्ती	चेदका	सरान्हपुर,	राजस्व	314.617
मध्यवर्ती क्षेत्र			कामती,	राजस्व	511.187
मध्यवर्ती क्षेत्र			टकापर , सेहरा	राजस्व	594.141
मध्यवर्ती क्षेत्र		अरदोन	अरदोन	राजस्व	899.698
मध्यवर्ती क्षेत्र		घोरी	घहोगरी	राजस्व	870.271
मध्यवर्ती क्षेत्र		-उत्तर खरपवाद	खरपवाद	राजस्व	1117.705
मध्यवर्ती क्षेत्र			मगरीया	राजस्व	160.688
मध्यवर्ती क्षेत्र	कुल			राजस्व	4468.307
मध्यवर्ती क्षेत्र	पीपरीया मध्यवर्ती	नदीपुरा	नदीपुरा	राजस्व	1411.611
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर बरगोदी	बरगोदी	राजस्व	2340.065
मध्यवर्ती क्षेत्र		चोउका	अनहोनी	राजस्व	468.690
	कुल				4220.366
मध्यवर्ती क्षेत्र	पूर्व पचमारही		टेकापर		460.348
मध्यवर्ती क्षेत्र			बीनदाखेरा		129.660
मध्यवर्ती क्षेत्र			पचमारही		1532.521
मध्यवर्ती क्षेत्र			मेंदीखेरा		102.561
मध्यवर्ती क्षेत्र			चीरा		230.436
मध्यवर्ती क्षेत्र			माइली		66.830
मध्यवर्ती क्षेत्र			चील्लीओड		127.716
मध्यवर्ती क्षेत्र			मतकुली		458.837
मध्यवर्ती क्षेत्र			मोअहगाँव		144.190
मध्यवर्ती क्षेत्र			पीसुअ		308.507
मध्यवर्ती क्षेत्र			खारी		235.424
मध्यवर्ती क्षेत्र			नन्दीअ		183.477
मध्यवर्ती क्षेत्र			सूयपदोनगेर		146.932

मध्यवर्ती क्षेत्र			संकरी		0.743
मध्यवर्ती क्षेत्र			चुरनी		486.885
मध्यवर्ती क्षेत्र			चादन पीपरी		97.021
मध्यवर्ती क्षेत्र			नेकस		25.181
मध्यवर्ती क्षेत्र			मनकाचार		16.292
मध्यवर्ती क्षेत्र			फिफेरी		08.142
	कुल:				4761.703
	कुल योग:				19720.803

सतपुडा पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और विधि स्थान (पी.एफ/आरक्षित वन)

प्रभाग	श्रेणी	बीट	कम्पार्टमेंट	विधि स्थान	क्षेत्र (हेक्टेयर)
मध्यवर्ती क्षेत्र	देनवा मध्यवर्ती	जीरपा	पी-21क	संरक्षित वन	190.78
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-21घ	संरक्षित वन	24.47
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-25	संरक्षित वन	339.65
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-26	संरक्षित वन	231.10
मध्यवर्ती क्षेत्र		सावारवानी	पी-17	संरक्षित वन	446.45
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-18	संरक्षित वन	335.37
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-19	संरक्षित वन	334.74
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-20	संरक्षित वन	257.40
मध्यवर्ती क्षेत्र		सीतादोनगरी	पी-151	संरक्षित वन	335.36
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-153	संरक्षित वन	366.54
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-163	संरक्षित वन	386.58
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-164	संरक्षित वन	162.33
मध्यवर्ती क्षेत्र		देवा	पी-138	संरक्षित वन	291.23
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-146	संरक्षित वन	311.93
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-147	संरक्षित वन	369.51
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-148	संरक्षित वन	316.06
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-149	संरक्षित वन	407.95
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-150	संरक्षित वन	442.11
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-152	संरक्षित वन	343.20
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम कोहानाला	पी-139	संरक्षित वन	311.39
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-141	संरक्षित वन	258.98
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-142	संरक्षित वन	235.10
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-143	संरक्षित वन	409.62
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-144	संरक्षित वन	343.55

मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-145	संरक्षित वन	355.34
मध्यवर्ती क्षेत्र		कुकर पानी	पी-254	संरक्षित वन	121.02
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-255	संरक्षित वन	200.45
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-270	संरक्षित वन	208.50
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-271	संरक्षित वन	219.47
मध्यवर्ती क्षेत्र		बास्थ	पी-237	संरक्षित वन	207.35
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-238	संरक्षित वन	235.71
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-253	संरक्षित वन	188.15
मध्यवर्ती क्षेत्र		चती आम	पी-250	संरक्षित वन	200.58
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-251	संरक्षित वन	288.88
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-252	संरक्षित वन	98.37
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-256	संरक्षित वन	181.89
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-257	संरक्षित वन	272.38
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व अलीमोड़	पी-242	संरक्षित वन	194.75
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-243	संरक्षित वन	230.10
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-244	संरक्षित वन	250.38
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-245	संरक्षित वन	180.88
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-247	संरक्षित वन	195.78
मध्यवर्ती क्षेत्र		बीजौरी	पी-246	संरक्षित वन	196.55
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-338	संरक्षित वन	172.27
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-339	संरक्षित वन	172.05
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम अलीमोड़	पी-239	संरक्षित वन	245.14
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-240	संरक्षित वन	236.44
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-248	संरक्षित वन	176.36
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-241	संरक्षित वन	160.22
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-249	संरक्षित वन	143.35
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-259	संरक्षित वन	174.65
कुल			51 कम्पार्टमेंट		12958.410
मध्यवर्ती क्षेत्र	तावा मध्यवर्ती	धसाई	पी-207	संरक्षित वन	253.65
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-436	आरक्षित वन	346.40
मध्यवर्ती क्षेत्र		पुंजी	आर-432	आरक्षित वन	405.20
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-433	आरक्षित वन	165.92
मध्यवर्ती क्षेत्र		केल्ली	आर-434	आरक्षित वन	149.37
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-435	आरक्षित वन	578.22
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व बापु पादेव	आर-485	आरक्षित वन	336.70

मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-486	आरक्षित वन	446.76
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व कापील धारा	आर-484	आरक्षित वन	400.23
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-487	आरक्षित वन	332.69
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम कापील धारा	आर-488	आरक्षित वन	348.44
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-494	आरक्षित वन	388.89
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम बापु पादेव	आर-489	आरक्षित वन	507.87
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-490	आरक्षित वन	397.39
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर रामपुर	आर-491	आरक्षित वन	461.74
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-492	आरक्षित वन	459.71
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-493	आरक्षित वन	390.51
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-496	आरक्षित वन	344.78
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-497	आरक्षित वन	365.82
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-498	आरक्षित वन	485.62
मध्यवर्ती क्षेत्र		टीठा	आर-499	आरक्षित वन	332.65
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-500	आरक्षित वन	329.89
मध्यवर्ती क्षेत्र		रामपुर	आर-502	आरक्षित वन	378.77
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-503	आरक्षित वन	385.26
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-501	आरक्षित वन	517.18
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-507	आरक्षित वन	331.43
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-508	आरक्षित वन	559.29
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-509	आरक्षित वन	348.83
मध्यवर्ती क्षेत्र		घोगरा	आर-511	आरक्षित वन	468.24
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-513	आरक्षित वन	437.74
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व भातोदी	आर-510	आरक्षित वन	569.79
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-514	आरक्षित वन	484.00
मध्यवर्ती क्षेत्र		नीसान	आर-515	आरक्षित वन	505.85
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-516	आरक्षित वन	335.07
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-517	आरक्षित वन	470.34
कुल			35 कम्पार्टमेंट		14020.240
मध्यवर्ती क्षेत्र	बगरा मध्यवर्ती	चेदका	पी-269	संरक्षित वन	104.412
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-270	संरक्षित वन	49.373
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-271	संरक्षित वन	212.868
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-280	संरक्षित वन	13.760
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-281	संरक्षित वन	215.245
मध्यवर्ती क्षेत्र		सीयारखेडा	आर-244	आरक्षित वन	193.444

मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-245	आरक्षित वन	203.963
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-246	आरक्षित वन	175.233
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-247	आरक्षित वन	233.911
मध्यवर्ती क्षेत्र		दक्षिण मारकाधाना	आर-255	आरक्षित वन	155.403
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-256	आरक्षित वन	232.700
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-257	आरक्षित वन	202.752
मध्यवर्ती क्षेत्र		जामनीदेव	आर-258	आरक्षित वन	180.494
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-259	आरक्षित वन	275.597
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व सेहरा	आर-260	आरक्षित वन	194.658
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-261	आरक्षित वन	226.223
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-262	आरक्षित वन	48.159
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-263	आरक्षित वन	128.289
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम सेहरा	आर-264	आरक्षित वन	191.016
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-265	आरक्षित वन	265.075
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-266	आरक्षित वन	141.239
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-267	आरक्षित वन	48.564
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-268	आरक्षित वन	47.754
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर गोनादेह	आर-235	आरक्षित वन	261.025
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-236	आरक्षित वन	247.673
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-237	आरक्षित वन	199.110
मध्यवर्ती क्षेत्र		दक्षिण गोनादेह	आर-238	आरक्षित वन	199.515
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-250	आरक्षित वन	178.471
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-252	आरक्षित वन	159.855
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर मारकाधाना	आर-242	आरक्षित वन	201.535
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-243	आरक्षित वन	185.350
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर बीनेका	आर-239	आरक्षित वन	192.635
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-240	आरक्षित वन	212.060
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-241	आरक्षित वन	171.186
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व बीनेका	आर-248	आरक्षित वन	157.022
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-249	आरक्षित वन	127.884
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-253	आरक्षित वन	194.254
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर बीनेका	आर-251	आरक्षित वन	219.345
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-254	आरक्षित वन	194.254
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व रानीपुर	आर-214	आरक्षित वन	147.714
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-213	आरक्षित वन	82.558

मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-230	संरक्षित वन	252.125
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर रानीपुर	आर-222	आरक्षित वन	131.121
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-221	आरक्षित वन	232.293
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-220	आरक्षित वन	140.025
मध्यवर्ती क्षेत्र		तावा	आर-215	आरक्षित वन	126.265
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-216	आरक्षित वन	156.212
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-217	आरक्षित वन	110.887
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-218	आरक्षित वन	7.690
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-219	आरक्षित वन	6.476
मध्यवर्ती क्षेत्र		दक्षिण खारपावाद	पी-198	संरक्षित वन	374.746
मध्यवर्ती क्षेत्र		उरदोन	पी-197	संरक्षित वन	685.553
मध्यवर्ती क्षेत्र		घोगरी	पी-196	संरक्षित वन	497.775
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर खरपवाद	आर-201	आरक्षित वन	298.260
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-202	आरक्षित वन	194.251
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व पथाई	आर-199	आरक्षित वन	165.520
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-200	आरक्षित वन	219.343
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम पथाई	आर-203	आरक्षित वन	172.805
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-204	आरक्षित वन	234.723
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व पारसापानी	आर-227	आरक्षित वन	242.815
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-228	आरक्षित वन	174.828
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम पारसापानी	आर-212	आरक्षित वन	122.218
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-229	आरक्षित वन	223.391
मध्यवर्ती क्षेत्र		दक्षिण पारसापानी	आर-208	आरक्षित वन	221.366
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-209	आरक्षित वन	165.925
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-210	आरक्षित वन	100.365
मध्यवर्ती क्षेत्र			आर-211	आरक्षित वन	117.362
कुल:			67		12445.918
मध्यवर्ती क्षेत्र	पीपरीया मध्यवर्ती	नदीपुरा	पी-348	संरक्षित वन	363.008
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-349	संरक्षित वन	392.959
मध्यवर्ती क्षेत्र		कोदापादहरी	पी-351	संरक्षित वन	498.986
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-352	संरक्षित वन	316.067
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर बरगोदी	पी-356	संरक्षित वन	239.58
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-357	संरक्षित वन	341.563
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व बरगोदी	पी-346	संरक्षित वन	475.112
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-347	संरक्षित वन	360.178

मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-353	संरक्षित वन	335.084
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-354	संरक्षित वन	264.671
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-355	संरक्षित वन	428.977
मध्यवर्ती क्षेत्र		दोकरीखेधा	पी-300	संरक्षित वन	128.289
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-301	संरक्षित वन	247.673
मध्यवर्ती क्षेत्र		चौका	पी-302	संरक्षित वन	215.703
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-303	संरक्षित वन	434.638
मध्यवर्ती क्षेत्र		कुसीखापा	पी-304	संरक्षित वन	350.466
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-305	संरक्षित वन	273.574
मध्यवर्ती क्षेत्र		सानगढ़	पी-306	संरक्षित वन	313.231
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-309	संरक्षित वन	223.392
मध्यवर्ती क्षेत्र		चारगांव	पी-310	संरक्षित वन	141.643
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-311	संरक्षित वन	343.586
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-312	संरक्षित वन	394.982
कुल:			22		7083.362
मध्यवर्ती क्षेत्र	पूर्व पञ्चमढी	नदीया	पी-271	संरक्षित वन	410.755
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-272	संरक्षित वन	568.584
मध्यवर्ती क्षेत्र		पथार कंता	पी-274	संरक्षित वन	224.196
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-275	संरक्षित वन	348.838
मध्यवर्ती क्षेत्र		चुरनी	पी-276	संरक्षित वन	335.889
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-277	संरक्षित वन	373.129
मध्यवर्ती क्षेत्र		मोगरा	पी-221 (पी)	संरक्षित वन	88.626
मध्यवर्ती क्षेत्र		मतकुली	पी-222	संरक्षित वन	136.379
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-223 (पी)	संरक्षित वन	99.957
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-216	संरक्षित वन	47.752
कुल:			10		2634.105
मध्यवर्ती क्षेत्र	मतकुली	जीरीया	430	आरक्षित वन	6.379
मध्यवर्ती क्षेत्र		कोलुअ	436	आरक्षित वन	2.232
कुल:			02		8.611
मध्यवर्ती क्षेत्र	श्रेणी चुरना	माना जल बीट	173 भाग	आरक्षित वन	145.680
मध्यवर्ती क्षेत्र		सुपलाइ बीट	173 भाग	आरक्षित वन	278.020
मध्यवर्ती क्षेत्र			174	आरक्षित वन	513.944
मध्यवर्ती क्षेत्र			188	आरक्षित वन	291.774
मध्यवर्ती क्षेत्र		झलाई	186 भाग	आरक्षित वन	375.548

मध्यवर्ती क्षेत्र			187 भाग	आरक्षित वन	320.920
मध्यवर्ती क्षेत्र		मल्लुपुरा	189 भाग	आरक्षित वन	331.800
मध्यवर्ती क्षेत्र			190 भाग	आरक्षित वन	194.170
मध्यवर्ती क्षेत्र			191 भाग	आरक्षित वन	250.510
मध्यवर्ती क्षेत्र			192 भाग	आरक्षित वन	817.049
मध्यवर्ती क्षेत्र		खामदा जल बीट	186 भाग	आरक्षित वन	95.500
मध्यवर्ती क्षेत्र			187 भाग	आरक्षित वन	186.144
मध्यवर्ती क्षेत्र			189 भाग	आरक्षित वन	259.033
मध्यवर्ती क्षेत्र			190 भाग	आरक्षित वन	651.207
मध्यवर्ती क्षेत्र			191 भाग	आरक्षित वन	80.923
मध्यवर्ती क्षेत्र		औनधिया जल बीट	डब्लू 351	आरक्षित वन	90.243
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 352	आरक्षित वन	42.894
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 353	आरक्षित वन	154.185
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 357	आरक्षित वन	58.272
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 358	आरक्षित वन	123.427
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 361	आरक्षित वन	16.184
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 370	आरक्षित वन	33.550
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 371	आरक्षित वन	182.109
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 372	आरक्षित वन	172.396
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 373	आरक्षित वन	111.286
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 375	आरक्षित वन	92.672
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 376	आरक्षित वन	259.808
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 377	आरक्षित वन	184.133
मध्यवर्ती क्षेत्र			डब्लू 378	आरक्षित वन	42.895
मध्यवर्ती क्षेत्र		मनदीखोह	58	आरक्षित वन	420.073
मध्यवर्ती क्षेत्र			61	आरक्षित वन	234.318
मध्यवर्ती क्षेत्र			63	आरक्षित वन	207.609
कुल:			32		7218.276
मध्यवर्ती क्षेत्र	श्रेणी कामती	आदी - देनवा	इ 294	आरक्षित वन	208.010
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 295	आरक्षित वन	144.878
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 296	आरक्षित वन	240.789
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 297	आरक्षित वन	63.129
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 298	आरक्षित वन	48.155
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 302	आरक्षित वन	71.223
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 303	आरक्षित वन	71.223

मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 304	आरक्षित वन	63.871
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 305	आरक्षित वन	29.540
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 306	आरक्षित वन	40.467
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 312	आरक्षित वन	9.708
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 317	आरक्षित वन	25.898
मध्यवर्ती क्षेत्र			इ 318	आरक्षित वन	27.923
मध्यवर्ती क्षेत्र	सोनभाधारा मेल जल बीट		371	आरक्षित वन	23.064
मध्यवर्ती क्षेत्र			372	आरक्षित वन	47.751
मध्यवर्ती क्षेत्र			373	आरक्षित वन	56.248
मध्यवर्ती क्षेत्र			378	आरक्षित वन	16.591
मध्यवर्ती क्षेत्र			379	आरक्षित वन	122.620
मध्यवर्ती क्षेत्र			380	आरक्षित वन	13.382
मध्यवर्ती क्षेत्र			381	आरक्षित वन	9.305
मध्यवर्ती क्षेत्र			383	आरक्षित वन	135.568
मध्यवर्ती क्षेत्र			384	आरक्षित वन	120.596
मध्यवर्ती क्षेत्र			385	आरक्षित वन	142.045
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-121	संरक्षित वन	893.940
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-123	संरक्षित वन	28.327
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-127	संरक्षित वन	85.790
मध्यवर्ती क्षेत्र	बसानीया जल बीट		पी-119	संरक्षित वन	450.004
मध्यवर्ती क्षेत्र			पी-120	संरक्षित वन	124.628
कुल:			28		3314.673
कुल योग:			247		59683.595

सतपुड़ा पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और विधि स्थान (राजस्व क्षेत्र)

प्रभाग	श्रेणी	बीट	ग्राम का नाम	विधि स्थान	क्षेत्र (हेक्टेयर)
मध्यवर्ती क्षेत्र	देनवा मध्यवर्ती	जीरपा	जीरपा, अडीटोरिया	राजस्व	932.624
मध्यवर्ती क्षेत्र			करेर	राजस्व	545.739
मध्यवर्ती क्षेत्र			कनचारी	राजस्व	302.28
मध्यवर्ती क्षेत्र		सीतादोनगरी	बनधान	राजस्व	49.75
मध्यवर्ती क्षेत्र		देनवा	दुनदी	राजस्व	45.502
मध्यवर्ती क्षेत्र		कुकरपानी	बरूथ	राजस्व	181.87
मध्यवर्ती क्षेत्र		चती-आम	चीता-आम	राजस्व	184.428
मध्यवर्ती क्षेत्र		पूर्व-अलीमोनद	अलीमोनद, कुराइ, दुनदेलाम	राजस्व	3519.542
मध्यवर्ती क्षेत्र		पश्चिम-अलीमोनद	भागोली	राजस्व	264.89

	कुल			राजस्व	6026.625
मध्यवर्ती क्षेत्र	तावा	ध्रसाई	ध्रासाई	राजस्व	243.802
	कुल			राजस्व	243.802
मध्यवर्ती क्षेत्र	बागडा मध्यवर्ती	छेड़का	सांरगपुर	राजस्व	314.617
मध्यवर्ती क्षेत्र			कामती	राजस्व	511.187
मध्यवर्ती क्षेत्र			टेकापार , सेहरा	राजस्व	594.141
मध्यवर्ती क्षेत्र		उरदौन	उरदौन	राजस्व	899.698
मध्यवर्ती क्षेत्र		घोघरी	घोघरी	राजस्व	870.271
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर -खरपावड	खरपावड	राजस्व	1117.705
मध्यवर्ती क्षेत्र			मगरिया	राजस्व	160.688
मध्यवर्ती क्षेत्र	कुल			राजस्व	4468.307
मध्यवर्ती क्षेत्र	पिपरिया मध्यवर्ती	नदीपुरा	नदीपुरा	राजस्व	1411.611
मध्यवर्ती क्षेत्र		उत्तर बरगोंदी	बरगोंदी	राजस्व	2340.065
मध्यवर्ती क्षेत्र		चौका	अन्होनी	राजस्व	468.690
	कुल				4220.366
मध्यवर्ती क्षेत्र	पूर्व पचमढी		टेकापार		460.348
मध्यवर्ती क्षेत्र			बिंडाखेडा		129.660
मध्यवर्ती क्षेत्र			पचमढी		1532.521
मध्यवर्ती क्षेत्र			मेहन्दीखेडा		102.561
मध्यवर्ती क्षेत्र			छिरई		230.436
मध्यवर्ती क्षेत्र			मैली		66.830
मध्यवर्ती क्षेत्र			चिल्लौद		127.716
मध्यवर्ती क्षेत्र			मटकुली		458.837
मध्यवर्ती क्षेत्र			मोहगांव		144.190
मध्यवर्ती क्षेत्र			पिसुआ		308.507
मध्यवर्ती क्षेत्र			खारी		235.424
मध्यवर्ती क्षेत्र			नदिया		183.477
मध्यवर्ती क्षेत्र			सुपडोग		146.932
मध्यवर्ती क्षेत्र			सांकरी		0.743
मध्यवर्ती क्षेत्र			चूरनी		486.885
मध्यवर्ती क्षेत्र			चंदन, पिपरिया		97.021
मध्यवर्ती क्षेत्र			नेकसा		25.181
मध्यवर्ती क्षेत्र			मानकाचारी		16.292
मध्यवर्ती क्षेत्र			फिफेरी		08.142
	कुल:				4761.703
	कुल योग:				19720.803

सतपुड़ा पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित वन क्षेत्रों के अन्य प्रभाग सम्मिलित है (दो किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत)

होशगांबाद वन प्रभाग	कम्पार्टमेंट सं				ग्राम के नाम	विधि स्थान	क्षेत्र (हेक्टेयर.)
श्रेणी	पी एफ		आर एफ				
सुखतवा	77	31.971	50	154.501	बारघा	आर वी	634.962
	84	157.743	51	294.994			
	85	7.002	52	192.628			
	88	508.811	53	44.581			
	89	3.788	54	181.424			
	0	0	55	334.143			
	0	0	56	252.448			
			57	83.636			
			59	150.122			
			60	209.423			
			62	330.252			
			64	210.200			
			65	337.200			
			66	316.599			
			90	241.728			
			91	28.790			
कुल		709.315		3362.669			634.962
पिपरिया	294	34.479	0	0	अन्होनी	आर वी	526.325
	295	84.897	0	0	डोकरीखेडा	आर वी	432.857
	296	0.891	0	0	हथनीखापा	आर वी	654.857
	297	47.444	0	0	मुहारी खुर्द	आर वी	652.210
	298	26.710	0	0	मुहारी कला	आर वी	594.506
	299	130.373	0	0	सांगई	आर वी	545.709
	307	20.137	0	0	देवी	आर वी	309.638
	492	38.828	0	0	अमदेह, रेयवाडी	आर वी	224.670
	493	15.373	0	0	माधौ	आर वी	89.216
	499	9.018			बौरी	आर वी	185.419
						आर वी	304.230
					महाराजगंज	आर वी	1268.668
					चौका	आर वी	363.957
कुल		408.150	0	0		0	6152.262

इटारसी	98	50.986	102	41.780	काटमी रैयत	आर वी	283.721
	121	25.464	103	90.152	मरुआपुरा	आर वी	402.332
	122	85.231	104	158.059	लाडीमा (सिलवान)	आर वी	510.632
	124	140.171	105	44.921			
			106	108.690			
			107	74.604			
			108	28.035			
			109	250.578			
			110	187.830			
			111	247.066			
			112	354.690			
			113	126.287			
			114	200.551			
			115	138.504			
कुल		301.852		2051.747			1196.685
बानखेदी	358	92.782					
	359	120.354					
	360	44.300					
कुल		257.436					1196.685
कुल योग		1676.753		5414.416			7983.909
झीरपा	22ए	117.400	0	0	विजोरी	आर वी	329.912
	27	172.202	0	0	लुख्खाधाना	आर वी	3259.005
देलखारी	162	146.230	0	0	श्रीधाना	आर वी	
तमीया	165	100.00	0	0	कानचारी	आर वी	302.828
संगाखेडा	262	59.00	0	0	करेर	आर वी	545.739
	263	117.600	0	0	कुरसीधाना	आर वी	870.505
	264	221.350	0	0	नीसान	आर वी	699.812
	265	80.500	0	0	बेलखेदी	आर वी	914.008
	337	140.200	0	0	धीबुधाना	आर वी	
	340	113.200	0	0	अनजानधाना	आर वी	3069.96
	341	170.350	0	0	देलाखारी	आर वी	
	350	60.000	0	0	सांगाखेडा	आर वी	1173.019
कुल		1498.032	0	0			11164.788

रामपुर भातोदी परियोजना, बेतुल	0	0	437	100.044			
	0	0	482	610.619			
	0	0	483	90.780			
	0	0		801.443			
कुल आय (होशगांवाद) पश्चमी छिंदवारा और बेतुल		3174.786		6215.859			19148.697

कुल वन क्षेत्र 9390.645 हेक्टेयर

कुल राजस्व क्षेत्र 19148.697 हेक्टेयर

कुल क्षेत्र **28539.342** हेक्टेयर

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- बैठकों की संख्या और तिथि ।
- बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
- भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
- पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- पर्यावरण समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2017

S.O. 2538(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O. 655(E), dated the 4th March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette were made available to the public on the 4th March, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the central government;

AND WHEREAS, the Satpura Tiger Reserve is located in the Hoshangabad district of Madhya Pradesh. The total areas of Satpura National Park is 528.73 square kilometre which along with Pachmarhi Sanctuary 417.78 square kilometre and Bori Sanctuary of 485.71 square kilometre in the State of Madhya Pradesh constitute a total area of 1432.22 square kilometre;

AND WHEREAS, the Satpura Tiger Reserve is spread over an area of 2133.30 square kilometres of which 1339.26 square kilometres is Core Critical Tiger Habitat and 794.04 square kilometres is the buffer area;

AND WHEREAS, the Satpura Tiger Reserve is part of the largest Tiger Habitat in the world which includes Chhindwara, Hoshangabad, Betul, Harda, Khandwa and Melghat extending over 10,000 square kilometer;

AND WHEREAS, this landscape is most vital for survival of tiger and this area has historically been renowned for Tiger, Gaur and Sambar. At least 14 endangered species of mammals, birds and reptiles inhabit these forests. The flying squirrel, Indian giant squirrel and Leaf nosed bats must be regarded among the most sensitive to habitat changes.

AND WHEREAS, the protected area is a paradise for people interested in avian fauna. More than 300 species of birds can be seen which include Malabar pied horn-bill, Malabar whistling thrush and the state bird of Madhya Pradesh paradise flycatcher. The Area also visited by many migratory birds like Brahmi duck, Bar-headed Gees, Pintail etc.

AND WHEREAS, Satpura Tiger Reserve is prime example of central Indian highlands ecosystem. It is a unique area of high natural and diverse land resource values and endowed with rich bio-diversity. It has a large number of rare and endemic plants especially bryophytes and pteridophytes like Psilotum, Cythea, Osmunda, Lycopodium, Lygodium etc. On Pachmarhi plateau sal forests exist on Gondwana sandstone where as on lower plains teak forests grow on basaltic traps.

AND WHEREAS, phytogeographically the Tiger Reserve is unique; some species, which are not common elsewhere in Madhya Pradesh are found in this area. These are *Malastoma malabaricum*, *Moraya paniculata*, *Holmskildia sanguinea*, *Blumea lancelaria*, *Sophora interrupta* etc. There are 26 species of Himalaya and 42 species of Nilgiri hills are found here.

AND WHEREAS, the area is very important from the archaeological and human evolution point of view as there are more than 50 rock shelters with paintings which are 1500 to 10000 years old;

AND WHEREAS, trees of Satpura Tiger Reserve are Babul(*Acacia Arabica*), Khair(*Acacia catechu*), Reunjha(*Acacia leucophloea*), Haldu(*Adina cordifolia*), Bel(*Aegle marmelos*), Maharukh(*Ailanthes excels*), Karung(*Albizzia chinensis*), Kala siris(*Albizzia lebbeck*), Chichwa(*Albizzia odoratissima*), Safed siris(*Albizzia procera*), Dhaora(*Anogeissus latifolia*), Neem(*Azadiracta indica*), Amta(*Bauhinia malabarica*), Keolar(*Bauhinia purpurea*), Asta(*Bauhinia racemosa*), Sehra(*Bauhinia retusa*), Kachnar(*Bauhinia variegata*), Salai(*Boswellia serrata*), Kasai(*Bridelia retusa*), Achar(*Buchnania lanzan*).

AND WHEREAS, endangered plants of Satpura Tiger Reserve are Bach(*Acorus calamus*), Daru Haldi(*Berberis aristata*), Lilly, Agnishikha(*Glorisa superb*), Ginger Lilly(*Hedychium coronarium*), Sandharlika (Spiked ginger lilly) (*Hedychium spicatum*), Sarpgandha(*Rauvolfia serpentine*), Chiraita(*Swertia Angustifolia*), Van Haldi(*Curcuma caesia*), Jadwar, Nirvisi(*Delphinium nududatmn*), Shingli-Mingli (Nepal Yam) (*Dioscorea deltoidea*), skeleton fork fern(*Psilotum nudum*), Kakhaii(*Abutilon indicum*),

Safedkumudni(*Nymphaea tetragona*), Maida Chal(*Dillania pantagyna*), Bhoot vriksha, Aralu(*Oroxylum indicum*).

AND WHEREAS, endangered species of Satpura Tiger Reserve are Indian Vulture(*Gyps Indicus*), Kala Giddha (Cinereous Vulture) (*Aegypius monachus*), Eurasian Otter(*Lutra lutra*), Smooth Coated Otter(*Lutrogale perspicillata*), Tiger(*Panthera tigris*), leopard(*Panther pardus*), Dhole(*Cuon alpinus*), Sloth bear(*Melursus ursinus*), Swamp deer(*Cervus duvaucelii*), Indian Giant Squirrel(*Ratufa indica*), Gaur (Bison) (*Bos gaurus*), Indian Pagolin(*Manis crassicaudada*), Honey Badger (Ratel) (*Mellibora capensis*), Civet cat, Biju(*Viverra zibetha*), Indian Monitor Lizard(*Varanus bengalensis*).

AND WHEREAS, birds of Satpura Tiger Reserve are Pied or White Wagtail(*Motacilla alba*), Indian ring dove(*Streptopelia decaocto*), Pied hornbill(*Anthracoberes coronatus*), Large Pied wagtail(*Motacilla maderaspatensis*), Collared Bushchat(*Saxicola tarsalis*), Blue winged Teal(*Anas querquedula*), House swift(*Apus affinis*), Stone curlew(*Burhinus oedicnemus*), Weaver bird(*Ploceus philippinus*), Alpine swift(*Apus melba*), Large Egret(*Egretta alba*), Blue cheeked bee eater(*Merops superciliosus*), Blue tailed bee eater(*Merops philippinus*), Redvented bulbul(*Pyenonotus cafer*), Small minivet(*Pericrocotus cinnamomeus*), Common or Gray quail(*Coturnix coturnix*), Common crane(*Grus grus*), Black headed myna(*Sturnus pogodarum*), Chestnut Bellied Nuthatch(*Sitta castanea*), Velvet fronted Nuthatch(*Sitta frontalis*).

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve, which includes Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of 100 m on the notified urban and ‘Abadi’ area side from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve, which includes Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary and up to 2 kilometers on other sides from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve, as the Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The extent of Eco-sensitive Zone is up to 100 m on the notified urban and ‘Abadi’ area side from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve in the State of Madhya Pradesh, which includes Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary and up to 2 kilometers on other sides from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve;

- (2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1079.43 square kilometres which includes 794.04 square kilometre buffer area of Satpura Tiger Reserve and forest areas of other adjoining divisions (Within two km. periphery) of 285.39 square kilometres;
- (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure I**;
- (4) The Eco-sensitive Zone includes 81 villages. The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure II**.
- (5) The legal status of area is appended as **Annexure-III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture and Horticulture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism including eco-tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal and urban development;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.**- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as,-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;
the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.,

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.,

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining	<p>(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities.</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted.</p> <p>Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
10.	Commercial use of firewood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
11.	New wood based industry	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.</p> <p>Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected</p>

		Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>(a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. <p>(b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Commercial Goat and sheep farming.	Regulated under applicable laws
16.	Felling of Trees	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
17.	Goat Farming	Regulated under applicable laws.
18.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
19.	Migratory graziers	Regulated under applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
21.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ	Regulated under applicable law

	area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	
24.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
26.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
27.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
28.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
29.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
30.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
31.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
33.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.

C. Promoted Activities

34.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
39.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of Degraded Land/Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
43.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. Divisional Commissioner, Hoshangabad | Chairman; |
| 2. Divsional Commissioner, Jabalpur | Member; |
| 3. District Collector, Hoshangabad | Member; |
| 4. District Collector, Betul | Member; |
| 5. District Collector, Chinndwara | Member; |

6.	Superintending Engineer Public Works Department, Shahdol	Member;
7.	Superintending Engineer Public Health Department, Hoshangabad	Member;
8.	Superintending Engineer Public Health Department, Betul	Member;
9.	Superintending Engineer Public Health Department, Chinndwara	Member;
10.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Hoshangabad	Member;
11.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Betul	Member;
12.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Chinndwara	Member;
13.	Representative of the Town and Country Planning Department	Member;
14.	Representative of the Pollution Control Board	Member;
15.	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case – Member;	
16.	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case – Member;	
17.	Member, State Biodiversity Board	Member;
18.	Field Director, Satpura Tiger Reserve,	Member Secretary.

6. Terms of Reference:- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.


- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.
 - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.


[F. No. 25/177/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES





The co-ordinates of the eco sensitive zone and the core zone are as follows,

Direction	Latitude (core)	Longitude (core)
North	22°42'01.12"	78°27'35.84"
East	22°25'36.98"	78°33'57.22"
South	22°19'51.50"	78°01'59.74"
West	22°31'06.91"	77°53'45.03"

Direction	Latitude (ESZ)	Longitude (ESZ)
North	22°43'13.89"	78°27'37.92"
East	22°25'20.98"	78°35'43.93"
South	22°18'12.13"	78°05'03.81"
West	22°31'11.29"	77°52'22.77"

Annexure-II

Villages with Geographical Coordinates within the Satpura Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Name of Division	Name of Village	District	Longitude	Latitude
1	Buffer Zone	Maharajgang	Hoshangabad	78° 27' 51.43" E	22° 42' 39.72" N
2	Buffer Zone	Nayagaon	Hoshangabad	78° 26' 19.46" E	22° 42' 56.86" N
3	Buffer Zone	Ghogri matha	Hoshangabad	78° 26' 32.99" E	22° 42' 15.31" N
4	Buffer Zone	Amadeh	Hoshangabad	78° 26' 10.88" E	22° 40' 38.36" N
5	Buffer Zone	Raitwadi	Hoshangabad	78° 25' 18.74" E	22° 40' 55.95" N
6	Buffer Zone	Madho	Hoshangabad	78° 24' 16.70" E	22° 40' 36.68" N
7	Buffer Zone	Bori	Hoshangabad	78° 24' 7.65" E	22° 41' 18.70" N
8	Buffer Zone	Devi	Hoshangabad	78° 24' 15.43" E	22° 39' 48.19" N
9	Buffer Zone	Dokrikheda	Hoshangabad	78° 22' 34.78" E	22° 39' 28.29" N
10	Buffer Zone	Jhiria	Hoshangabad	78° 23' 36.87" E	22° 38' 43.06" N
11	Buffer Zone	Choka	Hoshangabad	78° 22' 18.02" E	22° 38' 40.05" N
12	Buffer Zone	Aanhoani	Hoshangabad	78° 21' 6.53" E	22° 38' 5.77" N
13	Buffer Zone	Muharikhurd	Hoshangabad	78° 20' 18.91" E	22° 38' 42.45" N
14	Buffer Zone	Muharikala	Hoshangabad	78° 18' 8.14" E	22° 39' 48.36" N
15	Buffer Zone	Sanghii	Hoshangabad	78° 17' 5.42" E	22° 40' 11.76" N
16	Buffer Zone	Sehra	Hoshangabad	78° 10' 10.65" E	22° 34' 59.16" N
17	Buffer Zone	Kamti	Hoshangabad	78° 09' 31.75" E	22° 36' 26.80" N
18	Buffer Zone	Tekapar	Hoshangabad	78° 09' 01.32" E	22° 35' 0.88" N
19	Buffer Zone	Sarangpur	Hoshangabad	78° 8' 43.99" E	22° 34' 39.91" N
20	Buffer Zone	Ghogri	Hoshangabad	78° 7' 13.66" E	22° 35' 8.41" N
21	Buffer Zone	Mangaria	Hoshangabad	78° 6'10 .05" E	22° 35' 40.34" N
22	Buffer Zone	Urdaon	Hoshangabad	78° 5' 46.46" E	22° 34' 46.40" N
23	Buffer Zone	Kharpawad	Hoshangabad	78° 4' 21.44" E	22° 34' 31.02" N
24	Buffer Zone	Pathai	Hoshangabad	78° 1' 59.12" E	22° 36' 10.25" N
25	Buffer Zone	Tawanagar	Hoshangabad	77° 58' 34.99" E	22° 34' 00.89" N
26	Buffer Zone	Ranipur	Hoshangabad	77° 57' 17.42" E	22° 34'03.78" N
27	Buffer Zone	Chicha	Hoshangabad	77°54`50.28""E	22°32`40.41""N
28	Buffer Zone	Daudi	Hoshangabad	77° 53' 28.44" E	22° 31' 19.24" N
29	Buffer Zone	Chatua	Hoshangabad	77° 54' 21.35" E	22° 28' 09.74" N
30	Buffer Zone	Jhunkar	Hoshangabad	77°:54`24.20""E	22° 25' 46.51" N
31	Buffer zone	Mallupura	Hoshangabad	77° 56' 04.94" E	22° 25' 29.32" N
32	Buffer zone	Suplai	Hoshangabad	77° 58' 54.23" E	22° 25' 04.84" N
33	Buffer zone	Khamda	Hoshangabad	77° 55' 58.56" E	22° 24' 30.49" N
34	Buffer zone	Jhalai	Hoshangabad	77° 56' 54.36" E	22° 23' 26.61" N
35	Buffer Zone	Kotmi	Hoshangabad	77° 54' 16.44" E	22° 24' 4.56" N
36	Buffer Zone	Maruapura	Hoshangabad	77°53`36.53""E	22°22`46.25""N
37	Buffer Zone	Chichadhana	Hoshangabad	77° 53' 59.08" E	22° 22' 17.42" N
38	Buffer Zone	Ladema	Hoshangabad	77° 53 39.13" E	22° 22' 14.64" N
39	Buffer Zone	Bardha	Hoshangabad	77° 54' 53.41" E	22° 20' 7.92" N

40	Buffer Zone	Dhasaii	Betul	77° 56' 53.89" E	22° 19' 30.08" N
41	Buffer Zone	Kelipunji	Betul	77° 59' 36.03" E	22° 18' 25.80" N
42	Buffer Zone	Bhatodi	Betul	78° 11' 32.57" E	22° 23' 10.52" N
43	Buffer Zone	Baruth	Chindwara	78° 17' 25.64" E	22° 24' 12.47" N
44	Buffer Zone	Dundalum	Chindwara	78° 16' 50.81" E	22° 23' 04.47" N
45	Buffer Zone	Chhatiaam	Chindwara	78° 18' 48.43" E	22° 23' 15.73" N
46	Buffer Zone	Kurrai	Chindwara	78° 20' 47.18" E	22° 24' 46.86" N
47	Buffer Zone	Alimod	Chindwara	78° 22' 26.99" E	22° 23' 40.98" N
48	Buffer Zone	Bijori	Chindwara	78° 26' 54.96" E	22° 22' 25.03" N
49	Buffer Zone	Sangakheda	Chindwara	78° 27' 26.40" E	22° 21' 50.14" N
50	Buffer Zone	Kundaidhana	Chindwara	78° 28' 24.17" E	22° 21' 43.14" N
51	Buffer Zone	Nishan	Chindwara	78° 31' 53.93" E	22° 24' 14.43" N
52	Buffer Zone	Umardole	Chindwara	78° 32' 54.88" E	22° 23' 49.93" N
53	Buffer Zone	Belkhedi	Chindwara	78° 33' 44.75" E	22° 24' 40.64" N
54	Buffer Zone	Lukkhadhana	Chindwara	78° 34' 34.19" E	22° 24' 38.90" N
55	Buffer Zone	Anjandhana	Chindwara	78° 34' 40.12" E	22° 25' 19.80" N
56	Buffer Zone	Bandhan	Chindwara	78° 32' 47.41" E	22° 30' 37.96" N
57	Buffer Zone	Dundi	Chindwara	78° 32' 29.77" E	22° 30' 29.95" N
58	Buffer Zone	Aaditoria	Chindwara	78° 31' 6.69"E	22° 34' 37.62" N
59	Buffer Zone	Jhirpa	Chindwara	78° 30' 52.73"E	22° 35' 47.72" N
60	Buffer Zone	Khanchari	Chindwara	78° 30' 10.74" E	22° 35' 41.01" N
61	Buffer Zone	Navatola	Chindwara	78° 30' 22.99" E	22° 35'51 .91" N
62	Buffer Zone	Karer	Chindwara	78° 30' 28.26" E	22° 36' 24.6" N
63	Buffer zone	Nandia	Hoshangabad	78° 26' 35.60" E	22° 23' 26.88" N
64	Buffer zone	Gutkheda	Hoshangabad	78° 27'49.56" E	22° 23' 36.96" N
65	Buffer zone	Supdongar	Hoshangabad	78° 29' 01.50" E	22° 23' 40.94" N
66	Buffer zone	Sakri	Hoshangabad	78° 30' 04.45" E	22° 24' 25.54" N
67	Buffer zone	Churni	Hoshangabad	78° 32' 32.46" E	22° 25' 27.01" N
68	Buffer zone	Neksa	Hoshangabad	78° 30' 47.57" E	22° 34' 21.95" N
69	Buffer zone	Matkuli	Hoshangabad	78° 27' 17.49" E	22° 35' 34.22" N
70	Buffer zone	Chhirrai	Hoshangabad	78° 28' 41.30" E	22° 35' 34.29" N
71	Buffer zone	Tekapar	Hoshangabad	78° 28' 58.93" E	22° 36' 22.28" N
72	Buffer zone	Chillod	Hoshangabad	78° 27' 32.74" E	22° 36' 27.86" N
73	Buffer zone	Khari	Hoshangabad	78° 26' 59.33" E	22° 36' 43.29" N
74	Buffer zone	Mohagaun	Hoshangabad	78° 26' 56.03" E	22° 36' 27.13" N
75	Buffer zone	Malli	Hoshangabad	78° 26' 10.41" E	22° 35' 51.52" N
76	Buffer zone	Pisua	Hoshangabad	78° 24' 12.68" E	22° 35' 46.56" N
77	Buffer zone	Bindakheda	Hoshangabad	78° 25' 09.89" E	22° 35' 18.03" N
78	Buffer zone	Mehandikheda	Hoshangabad	78° 26' 20.12" E	22° 34' 57.21" N
79	Buffer zone	Pachmarhi	Hoshangabad	78° 25' 15.10" E	22° 27' 19.62" N
80	Buffer zone	Fiferi	Hoshangabad	78° 32' 11.18" E	22° 30' 37.18" N
81	Buffer zone	Manakachar	Hoshangabad	78° 31' 46.19" E	22° 33' 10.52" N

Annexure-III

**Legal Status & Extent of Area (Revenue Area) within the
Satpura Eco-sensitive Zone**

Division	Range	Beat	Name of Village	Legal Status	Area (Ha.)
Buffer Zone	Denwa Buffer	Jhirpa	Jhirpa, Aditoria	Revenue	932.624
Buffer Zone			Karer	Revenue	545.739
Buffer Zone			Khanchari	Revenue	302.28
Buffer Zone		Sitadongri	Bandhan	Revenue	49.75
Buffer Zone		Denwa	Dundi	Revenue	45.502
Buffer Zone		Kukrpani	Baruth	Revenue	181.87
Buffer Zone		Chati-aam	Chati-aam	Revenue	184.428
Buffer Zone		East-Alimond	Alimond, Kurrai, Dundalam	Revenue	3519.542
Buffer Zone		West-Alimond	Bhagoli	Revenue	264.89
	Total				6026.625
Buffer Zone	Tawa Buffer	Dhasai	Dhasai	Revenue	243.802
	Total				243.802
Buffer Zone	Bagra Buffer	Chedka	Sarangpur,	Revenue	314.617
Buffer Zone			Kamti,	Revenue	511.187
Buffer Zone			Takapar , Sehra	Revenue	594.141
Buffer Zone		Urdon	Urdon	Revenue	899.698
Buffer Zone		Ghogri	Ghogri	Revenue	870.271
Buffer Zone		North-Kharpawad	Kharpawad	Revenue	1117.705
Buffer Zone			Magariya	Revenue	160.688
Buffer Zone	Total				4468.307
Buffer Zone	Pipariya Buffer	Nadipura	Nadipura	Revenue	1411.611
Buffer Zone		North Bargondi	Bargondi	Revenue	2340.065
Buffer Zone		Chouka	Anhoni	Revenue	468.690
	Total				4220.366
Buffer Zone	East Pachmarhi		Tekapar		460.348
Buffer Zone			Bindakhera		129.660
Buffer Zone			Pachmarhi		1532.521
Buffer Zone			Mendikhera		102.561
Buffer Zone			Chirrai		230.436
Buffer Zone			Maili		66.830
Buffer Zone			Chillod		127.716
Buffer Zone			Matkuli		458.837
Buffer Zone			Moahgaon		144.190
Buffer Zone			Pisua		308.507
Buffer Zone			Khari		235.424
Buffer Zone			Nandia		183.477
Buffer Zone			Soupdonger		146.932
Buffer Zone			Sankri		0.743
Buffer Zone			Churni		486.885
Buffer Zone			Chandan piparia		97.021

Buffer Zone			Neksa		25.181
Buffer Zone			Manakachar		16.292
Buffer Zone			Fiferi		08.142
	Total:				4761.703
	Grand Total:				19720.803

Legal Status & Extent of Area (P.F/Reserved Forest) within the Satpuda Eco-sensitive Zone

DIVISION	RANGE	BEAT	COMPARTMENT	LEGAL STATUS	Area (Ha.)
Buffer Zone	Denwa Buffer	Jhirpha	P-21A	PF	190.78
Buffer Zone			P-21B	PF	24.47
Buffer Zone			P-25	PF	339.65
Buffer Zone			P-26	PF	231.10
Buffer Zone		Sawarwani	P-17	PF	446.45
Buffer Zone			P-18	PF	335.37
Buffer Zone			P-19	PF	334.74
Buffer Zone			P-20	PF	257.40
Buffer Zone		Sitadongri	P-151	PF	335.36
Buffer Zone			P-153	PF	366.54
Buffer Zone			P-163	PF	386.58
Buffer Zone			P-164	PF	162.33
Buffer Zone		Dewa	P-138	PF	291.23
Buffer Zone			P-146	PF	311.93
Buffer Zone			P-147	PF	369.51
Buffer Zone			P-148	PF	316.06
Buffer Zone			P-149	PF	407.95
Buffer Zone			P-150	PF	442.11
Buffer Zone			P-152	PF	343.20
Buffer Zone		West kohanala	P-139	PF	311.39
Buffer Zone			P-141	PF	258.98
Buffer Zone			P-142	PF	235.10
Buffer Zone			P-143	PF	409.62
Buffer Zone			P-144	PF	343.55
Buffer Zone			P-145	PF	355.34
Buffer Zone		Kukar pani	P-254	PF	121.02
Buffer Zone			P-255	PF	200.45
Buffer Zone			P-270	PF	208.50
Buffer Zone			P-271	PF	219.47
Buffer Zone		Baruth	P-237	PF	207.35
Buffer Zone			P-238	PF	235.71
Buffer Zone			P-253	PF	188.15

Buffer Zone		Chati Aam	P-250	PF	200.58
Buffer Zone			P-251	PF	288.88
Buffer Zone			P-252	PF	98.37
Buffer Zone			P-256	PF	181.89
Buffer Zone			P-257	PF	272.38
Buffer Zone		East Alimod	P-242	PF	194.75
Buffer Zone			P-243	PF	230.10
Buffer Zone			P-244	PF	250.38
Buffer Zone			P-245	PF	180.88
Buffer Zone			P-247	PF	195.78
Buffer Zone		Bijouri	P-246	PF	196.55
Buffer Zone			P-338	PF	172.27
Buffer Zone			P-339	PF	172.05
Buffer Zone		West Alimond	P-239	PF	245.14
Buffer Zone			P-240	PF	236.44
Buffer Zone			P-248	PF	176.36
Buffer Zone			P-241	PF	160.22
Buffer Zone			P-249	PF	143.35
Buffer Zone			P-259	PF	174.65
Total			51 Comp.		12958.410
Buffer Zone	Tawa Buffer	Dhasai	P-207	PF	253.65
Buffer Zone			R-436	RF	346.40
Buffer Zone		Punji	R-432	RF	405.20
Buffer Zone			R-433	RF	165.92
Buffer Zone		Kelly	R-434	RF	149.37
Buffer Zone			R-435	RF	578.22
Buffer Zone		East Bapu padav	R-485	RF	336.70
Buffer Zone			R-486	RF	446.76
Buffer Zone		East Kapil dhara	R-484	RF	400.23
Buffer Zone			R-487	RF	332.69
Buffer Zone		West Kapil dhara	R-488	RF	348.44
Buffer Zone			R-494	RF	388.89
Buffer Zone		West Bapu padav	R-489	RF	507.87
Buffer Zone			R-490	RF	397.39
Buffer Zone		North Rampur	R-491	RF	461.74
Buffer Zone			R-492	RF	459.71
Buffer Zone			R-493	RF	390.51
Buffer Zone			R-496	RF	344.78
Buffer Zone			R-497	RF	365.82
Buffer Zone			R-498	RF	485.62

Buffer Zone		Tita	R-499	RF	332.65
Buffer Zone			R-500	RF	329.89
Buffer Zone		Rampur	R-502	RF	378.77
Buffer Zone			R-503	RF	385.26
Buffer Zone			R-501	RF	517.18
Buffer Zone			R-507	RF	331.43
Buffer Zone			R-508	RF	559.29
Buffer Zone			R-509	RF	348.83
Buffer Zone		Ghogra	R-511	RF	468.24
Buffer Zone			R-513	RF	437.74
Buffer Zone		East Bhatodi	R-510	RF	569.79
Buffer Zone			R-514	RF	484.00
Buffer Zone		Nishan	R-515	RF	505.85
Buffer Zone			R-516	RF	335.07
Buffer Zone			R-517	RF	470.34
Total			35 Comp		14020.240
Buffer Zone	Bagra Buffer	Chedka	P-269	PF	104.412
Buffer Zone			P-270	PF	49.373
Buffer Zone			P-271	PF	212.868
Buffer Zone			P-280	PF	13.760
Buffer Zone			P-281	PF	215.245
Buffer Zone		Siyarkeda	R-244	RF	193.444
Buffer Zone			R-245	RF	203.963
Buffer Zone			R-246	RF	175.233
Buffer Zone			R-247	RF	233.911
Buffer Zone		SouthMarkadhana	R-255	RF	155.403
Buffer Zone			R-256	RF	232.700
Buffer Zone			R-257	RF	202.752
Buffer Zone		Jamanidev	R-258	RF	180.494
Buffer Zone			R-259	RF	275.597
Buffer Zone		East Sehra	R-260	RF	194.658
Buffer Zone			R-261	RF	226.223
Buffer Zone			R-262	RF	48.159
Buffer Zone			R-263	RF	128.289
Buffer Zone		West Sehra	R-264	RF	191.016
Buffer Zone			R-265	RF	265.075
Buffer Zone			R-266	RF	141.239
Buffer Zone			R-267	RF	48.564
Buffer Zone			R-268	RF	47.754
Buffer Zone		North Gonadeh	R-235	RF	261.025

Buffer Zone			R-236	RF	247.673
Buffer Zone			R-237	RF	199.110
Buffer Zone		South Gonadeh	R-238	RF	199.515
Buffer Zone			R-250	RF	178.471
Buffer Zone			R-252	RF	159.855
Buffer Zone		North Mrkadhana	R-242	RF	201.535
Buffer Zone			R-243	RF	185.350
Buffer Zone		North Bineka	R-239	RF	192.635
Buffer Zone			R-240	RF	212.060
Buffer Zone			R-241	RF	171.186
Buffer Zone		East Bineka	R-248	RF	157.022
Buffer Zone			R-249	RF	127.884
Buffer Zone			R-253	RF	194.254
Buffer Zone		North Bineka	R-251	RF	219.345
Buffer Zone			R-254	RF	194.254
Buffer Zone		East Ranipur	R-214	RF	147.714
Buffer Zone			R-213	RF	82.558
Buffer Zone			R-230	PF	252.125
Buffer Zone		North Ranipur	R-222	RF	131.121
Buffer Zone			R-221	RF	232.293
Buffer Zone			R-220	RF	140.025
Buffer Zone		Tawa	R-215	RF	126.265
Buffer Zone			R-216	RF	156.212
Buffer Zone			R-217	RF	110.887
Buffer Zone			R-218	RF	7.690
Buffer Zone			R-219	RF	6.476
Buffer Zone		South Kharpavad	P-198	PF	374.746
Buffer Zone		Urdon	P-197	PF	685.553
Buffer Zone		Ghogri	P-196	PF	497.775
Buffer Zone		North Kharpavad	R-201	RF	298.260
Buffer Zone			R-202	RF	194.251
Buffer Zone		East Pathai	R-199	RF	165.520
Buffer Zone			R-200	RF	219.343
Buffer Zone		Wast Pathai	R-203	RF	172.805
Buffer Zone			R-204	RF	234.723
Buffer Zone		East Parsapani	R-227	RF	242.815
Buffer Zone			R-228	RF	174.828
Buffer Zone		Wast Parsapani	R-212	RF	122.218
Buffer Zone			R-229	RF	223.391
Buffer Zone		South Parsapani	R-208	RF	221.366

Buffer Zone			R-209	RF	165.925
Buffer Zone			R-210	RF	100.365
Buffer Zone			R-211	RF	117.362
Total:			67		12445.918
Buffer Zone	Pipariya Burffer	Nadipura	P-348	PF	363.008
Buffer Zone			P-349	PF	392.959
Buffer Zone		Kodapadhri	P-351	PF	498.986
Buffer Zone			P-352	PF	316.067
Buffer Zone		North Bargodi	P-356	PF	239.58
Buffer Zone			P-357	PF	341.563
Buffer Zone		East Bargodi	P-346	PF	475.112
Buffer Zone			P-347	PF	360.178
Buffer Zone			P-353	PF	335.084
Buffer Zone			P-354	PF	264.671
Buffer Zone			P-355	PF	428.977
Buffer Zone		Dokrikhedha	P-300	PF	128.289
Buffer Zone			P-301	PF	247.673
Buffer Zone		Choka	P-302	PF	215.703
Buffer Zone			P-303	PF	434.638
Buffer Zone		Kursikhapa	P-304	PF	350.466
Buffer Zone			P-305	PF	273.574
Buffer Zone		Sangaii	P-306	PF	313.231
Buffer Zone			P-309	PF	223.392
Buffer Zone		Chargaon	P-310	PF	141.643
Buffer Zone			P-311	PF	343.586
Buffer Zone			P-312	PF	394.982
Total:			22		7083.362
Buffer Zone	East Pachmarhi	Nandia	P-271	PF	410.755
Buffer Zone			P-272	PF	568.584
Buffer Zone		Pathar kanta	P-274	PF	224.196
Buffer Zone			P-275	PF	348.838
Buffer Zone		Churni	P-276	PF	335.889
Buffer Zone			P-277	PF	373.129
Buffer Zone		Mogra	P-221 (P)	PF	88.626
Buffer Zone		Matkuli	P-222	PF	136.379
Buffer Zone			P-223 (P)	PF	99.957
Buffer Zone			P-216	PF	47.752
Total:			10		2634.105

Buffer Zone	Matkuli	Jhiriya	430	RF	6.379
Buffer Zone		Kolua	436	RF	2.232
Total:			02		8.611
Buffer Zone	Range Churna	Mana Jal Beat	173 Part	RF	145.680
Buffer Zone		Suplai beat	173 Part	RF	278.020
Buffer Zone			174	RF	513.944
Buffer Zone			188	RF	291.774
Buffer Zone		Jhalai	186 Part	RF	375.548
Buffer Zone			187 Part	RF	320.920
Buffer Zone		Mallupura	189 Part	RF	331.800
Buffer Zone			190 Part	RF	194.170
Buffer Zone			191 Part	RF	250.510
Buffer Zone			192 Part	RF	817.049
Buffer Zone		Khamda Jal beat	186 Part	RF	95.500
Buffer Zone			187 Part	RF	186.144
Buffer Zone			189 Part	RF	259.033
Buffer Zone			190 Part	RF	651.207
Buffer Zone			191 Part	RF	80.923
Buffer Zone		Aondhia Jal beat	W 351	RF	90.243
Buffer Zone			W 352	RF	42.894
Buffer Zone			W 353	RF	154.185
Buffer Zone			W 357	RF	58.272
Buffer Zone			W 358	RF	123.427
Buffer Zone			W 361	RF	16.184
Buffer Zone			W 370	RF	33.550
Buffer Zone			W 371	RF	182.109
Buffer Zone			W 372	RF	172.396
Buffer Zone			W 373	RF	111.286
Buffer Zone			W 375	RF	92.672
Buffer Zone			W 376	RF	259.808
Buffer Zone			W 377	RF	184.133
Buffer Zone			W 378	RF	42.895
Buffer Zone		Mandikhoh	58	RF	420.073
Buffer Zone			61	RF	234.318
Buffer Zone			63	RF	207.609
Total:			32		7218.276
Buffer Zone	Range Kamti	Aadi-denwa	E 294	RF	208.010
Buffer Zone			E 295	RF	144.878
Buffer Zone			E 296	RF	240.789
Buffer Zone			E 297	RF	63.129

Buffer Zone			E 298	RF	48.155
Buffer Zone			E 302	RF	71.223
Buffer Zone			E 303	RF	71.223
Buffer Zone			E 304	RF	63.871
Buffer Zone			E 305	RF	29.540
Buffer Zone			E 306	RF	40.467
Buffer Zone			E 312	RF	9.708
Buffer Zone			E 317	RF	25.898
Buffer Zone			E 318	RF	27.923
Buffer Zone		Sonbhadhara - mail jal beat	371	RF	23.064
Buffer Zone			372	RF	47.751
Buffer Zone			373	RF	56.248
Buffer Zone			378	RF	16.591
Buffer Zone			379	RF	122.620
Buffer Zone			380	RF	13.382
Buffer Zone			381	RF	9.305
Buffer Zone			383	RF	135.568
Buffer Zone			384	RF	120.596
Buffer Zone			385	RF	142.045
Buffer Zone			P-121	PF	893.940
Buffer Zone			P-123	PF	28.327
Buffer Zone			P-127	PF	85.790
Buffer Zone		Basania jal beat	P-119	PF	450.004
Buffer Zone			P-120	PF	124.628
Total:			28		3314.673
Grand Total:			247		59683.595

Legal Status & Extent of Area (Revenue Area) within the Satpura Eco-sensitive Zone

Division	Range	Beat	Name of Village	Legal Status	Area (Ha.)
Buffer Zone	Denwa Buffer	Jhirpa	Jhirpa, Aditoria	Revenue	932.624
Buffer Zone			Karer	Revenue	545.739
Buffer Zone			Khanchari	Revenue	302.28
Buffer Zone		Sitadongri	Bandhan	Revenue	49.75
Buffer Zone		Denwa	Dundi	Revenue	45.502
Buffer Zone		Kukrpani	Baruth	Revenue	181.87
Buffer Zone		Chati-aam	Chati-aam	Revenue	184.428
Buffer Zone		East-Alimond	Alimond, Kurrai, Dundalam	Revenue	3519.542
Buffer Zone		West-Alimond	Bhagoli	Revenue	264.89
	Total				6026.625

Buffer Zone	Tawa Buffer	Dhasai	Dhasai	Revenue	243.802
	Total				243.802
Buffer Zone	Bagra Buffer	Chedka	Sarangpur,	Revenue	314.617
Buffer Zone			Kamti,	Revenue	511.187
Buffer Zone			Takapar , Sehra	Revenue	594.141
Buffer Zone		Urdon	Urdon	Revenue	899.698
Buffer Zone		Ghogri	Ghogri	Revenue	870.271
Buffer Zone		North-Kharpowad	Kharpowad	Revenue	1117.705
Buffer Zone			Magariya	Revenue	160.688
Buffer Zone	Total				4468.307
Buffer Zone	Pipariya Buffer	Nadipura	Nadipura	Revenue	1411.611
Buffer Zone		North Bargondi	Bargondi	Revenue	2340.065
Buffer Zone		Chouka	Anhoni	Revenue	468.690
	Total				4220.366
Buffer Zone	East Pachmarhi		Tekapar		460.348
Buffer Zone			Bindakhera		129.660
Buffer Zone			Pachmarhi		1532.521
Buffer Zone			Mendikhera		102.561
Buffer Zone			Chirrai		230.436
Buffer Zone			Maili		66.830
Buffer Zone			Chillod		127.716
Buffer Zone			Matkuli		458.837
Buffer Zone			Moahgaon		144.190
Buffer Zone			Pisua		308.507
Buffer Zone			Khari		235.424
Buffer Zone			Nandia		183.477
Buffer Zone			Soupdonger		146.932
Buffer Zone			Sankri		0.743
Buffer Zone			Churni		486.885
Buffer Zone			Chandan piparia		97.021
Buffer Zone			Neksa		25.181
Buffer Zone			Manakachar		16.292
Buffer Zone			Fiferi		08.142
	Total:				4761.703
	Grand Total:				19720.803

Forest areas of other divisions included in the Satpuda Eco-sensitive zone (within two km. periphery)

Hoshanganad Forest division	Compartment no.				Name of Village	Legal Status	Area (Ha.)
Range	PF		RF				
Sukhtawa	77	31.971	50	154.501	Bardha	RV	634.962
	84	157.743	51	294.994			
	85	7.002	52	192.628			
	88	508.811	53	44.581			
	89	3.788	54	181.424			
	0	0	55	334.143			
	0	0	56	252.448			

			57	83.636			
			59	150.122			
			60	209.423			
			62	330.252			
			64	210.200			
			65	337.200			
			66	316.599			
			90	241.728			
			91	28.790			
Total		709.315		3362.669			634.962
Pipariya	294	34.479	0	0	Anhoni	RV	526.325
	295	84.897	0	0	Dokhrikheda	RV	432.857
	296	0.891	0	0	Hathnikhapa	RV	654.857
	297	47.444	0	0	Muhari khurd	RV	652.210
	298	26.710	0	0	Muhari kala	RV	594.506
	299	130.373	0	0	Sangai	RV	545.709
	307	20.137	0	0	Devi	RV	309.638
	492	38.828	0	0	Amadeh, Rayyatwadi	RV	224.670
	493	15.373	0	0	Madho	RV	89.216
	499	9.018			Bori	RV	185.419
					Ghoghri matha	RV	304.230
					Maharajaganj	RV	1268.668
					Chouka	RV	363.957
Total		408.150	0	0	0	0	6152.262
Itarsi	98	50.986	102	41.780	Kotmi Raiyat	RV	283.721
	121	25.464	103	90.152	Maruapura	RV	402.332
	122	85.231	104	158.059	Ladima(Silwani)	RV	510.632
	124	140.171	105	44.921			
			106	108.690			
			107	74.604			
			108	28.035			
			109	250.578			
			110	187.830			
			111	247.066			
			112	354.690			
			113	126.287			
			114	200.551			
			115	138.504			
Total		301.852		2051.747			1196.685
Bankhedi	358	92.782					
	359	120.354					
	360	44.300					
Total		257.436					1196.685
Grand Total		1676.753		5414.416			7983.909
Jhirpa	22A	117.400	0	0	Bijori	RV	329.912

	27	172.202	0	0	Lukkadhana	RV	3259.005
Delakhari	162	146.230	0	0	Shridhana	RV	
Tamiya	165	100.00	0	0	Kanchari	RV	302.828
Sangakheda	262	59.00	0	0	Karer	RV	545.739
	263	117.600	0	0	Kursidhana	RV	870.505
	264	221.350	0	0	Nishan	RV	699.812
	265	80.500	0	0	Belkhedi	RV	914.008
	337	140.200	0	0	Dhibudhana	RV	
	340	113.200	0	0	Anjandhana	RV	3069.96
	341	170.350	0	0	Delakhari	RV	
	350	60.000	0	0	Sangakheda	RV	1173.019
Total		1498.032	0	0			11164.788
Rampur Bhatodi Project,Betul	0	0	437	100.044			
	0	0	482	610.619			
	0	0	483	90.780			
	0	0		801.443			
Grand Total (Hoshangabad West Chhindwara) & Betul		3174.786		6215.859			19148.697

Total forest area 9390.645 Ha.

Total Revenue area 19148.697 Ha.

Total Area 28539.342 Ha.

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.